रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 720] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2014/फाल्गुन 29, 1935
No. 720] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2014/PHALGUNA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2014

का.आ. 847(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के कि.मी. 253.600 से कि.मी. 269.000 तक के भूखण्ड (भारत–नेपाल सीमा से वाराणसी तक वाया आजमगढ़) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि), अनुरंक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि से हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (ग) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू–रेखांक एवं अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में जौनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 233 के 253+600 कि.मी. से 269+000 कि.मी. (भारत–नेपाल सीमा से वाराणसी वाया आजमगढ़) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम. संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गॉव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	जौनपुर	1. केराकत	(1) कनौरा	12	निजी	कृषिक	0.4646
				52	सरकारी	नवीन परती	0.0211
				346	सरकारी	अकृषिक	0.0288
				347	सरकारी	अकृषिक	0.0400
				913	सरकारी	बंजर	0.0036
				340 / 1014	सरकारी	नवीन परती	0.2100
				340 / 1015	सरकारी	अकृषिक	0.0690
				340 / 1016	सरकारी	अकृषिक	0.0400
				340 / 1017	सरकारी	टीला	0.0120
				346 / 1022	सरकारी	पइन	0.0080
				356 / 1023	सरकारी	अकृषिक	0.0280
					योग		**0.9251**
			(2) मोरखा	486	निजी / सरकारी	कृषिक / बंजर	0.1834
				540	निजी / सरकारी	कृषिक / अकृषिक	0.3434
					योग		**0.5268**
			(3)ऐलिया	643	सरकारी	अकृषिक	0.1508
					योग		**0.1508**
			(4)अराजी ऐलिया	49	निजी	कृषिक	0.0093
					योग		**0.0093**
			(5) बिशुनपुर लेवरूवा	710	सरकारी	पुरानी परती / आबादी	0.0436
				731	सरकारी	आबादी / बंजर	0.1332
				901	सरकारी	पुरानीपरती	0.0120
					योग		**0.1888**
			(6) खुज्झी	231	सरकारी	चकमार्ग	0.0201
				473	सरकारी	बंजर	0.1250
				552	निजी / सरकारी	कृषिक / बीहड़	0.2830
				557	सरकारी	अकृषिक	0.3111
				559	सरकारी	जंगल	0.5470
					योग		**1.2862**
			(7)रामदेवपुर	96	सरकारी	सिंचाई विभाग / रेलवे	0.0899
					योग		**0.0899**

			(8) चन्दवक	586	निजी / सरकारी	कृषिक / आबादी	0.0430
					योग		**0.0430**
			(9) रामगढ़	28	निजी / सरकारी	कृषिक /बंजर	0.3245
					योग		**0.3245**
			(10) बीरभानपुर	101	सरकारी	नाला	0.0052
					योग		**0.0052**
					कुलयोग		**3.5496**

[फा. सं. भा.रा.रा.प्रा./11013/01/2012—एलए रा0रा0233—नोटिफ/बीओटी/पकाई वाराणसी]

माया प्रकाश, उप—सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2014

S.O. 847(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (Widening/Four laning, etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No. 233 in the stretch of land from Km. 253+600 to Km. 269+000 (Indo Nepal Border to Varanasi via Azamgrah) in the District of Jaunpur in the State of Uttar Pradesh, here by declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said lands may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority/Chief Revenue Officer, Jaunpur, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallowed the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of the Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from k.m. 253+600 to k.m. 269+000 of the National Highway No. 233 (Indo Nepal Border to Varanasi via Azamgarh) in District Jaunpur in the State of Uttar Pradesh.

Serial No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in ha.)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Jaunpur	1. Kerakat	(1) Kanoura	12	Private	Agricultural	0.4646
				52	Government	Navin Parti	0.0211
				346	Government	Non Agricultural	0.0288
				347	Government	Non Agricultural	0.0400
				913	Government	Banjar	0.0036
				340 / 1014	Government	Navin Parti	0.2100
				340 / 1015	Government	Non Agricultural	0.0690

				340 / 1016	Government	Non Agricultural	0.0400
				340 / 1017	Government	Teela	0.0120
				346 / 1022	Government	Payen	0.0080
				356 / 1023	Government	Non Agricultural	0.0280
					Total		**0.9251**
			(2) Morkha	486	Private / Government	Agricultural / Banjar	0.1834
				540	Private / Government	Agricultural / Aabadi	0.3434
					Total		**0.5268**
			(3) Ailiya	643	Government	Non Agricultural	0.1508
					Total		**0.1508**
			(4) Araji Ailiya	49	Private	Agricultural	0.0093
					Total		**0.0093**
			(5) Bishunpur Lewruwa	710	Government	Purani Parti / Aabadi	0.0436
				731	Government	Aabadi / Banjar	0.1332
				901	Government	Purani Parti	0.0120
					Total		**0.1888**
			(6) Khujhi	231	Government	Chak Marg	0.0201
				473	Government	Banjar	0.1250
				552	Private / Government	Agricultural / Vihar	0.2830
				557	Government	Non Agricultural	0.3111
				559	Government	Jangal	0.5470
					Total		**1.2862**
			(7) Ramdevpur	96	Government	Sichai Bhibhag / Railway	0.0899
					Total		**0.0899**
			(8) Chandwak	586	Private / Government	Agricultural / Aabadi	0.0430
					Total		**0.0430**
			(9) Ramgarh	28	Private / Government	Agricultural / Banjar	0.3245
					Total		**0.3245**
			(10) Beerbhanpur	101	Government	Nala	0.0052
					Total		**0.0052**
			Grand Total				**3.5496**

[F. No NHAI/11013/01/2012-LA NH-233-Notif./BOT/PIU-Varanasi]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.